



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/5891

दिनांक:- 10/11/23

—: बैठक कार्यवाही विवरण :-

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2023 वीं बैठक दिनांक 05.01.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-3 के निम्नलिखित 15 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया:-

एजेण्डा सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	मौके पर उपयोग
1.	बी.आई. टैक्स प्रा.लि. जरिये श्री मनोज कुमार पुत्र श्री तखतमल	सालावास	1071/111, 1068/954	4414.70 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
2.	श्रीमती ज्योति राठी पत्नी श्री दीपक श्रीमती हीरा पाण्डे पत्नी श्री जगदीश	जोधपुर	1518/130, 1910/1512	01.09.07 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
3.	श्री महेश धनकानी पुत्र श्री थावरदास, श्रीमति रश्मि पत्नी श्री महेश धनकानी	जोधपुर	1616/1096	02.10.00 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
4.	मोहम्मद याकूब, मो. मेहबूब पुत्रान् श्री नूर मोहम्मद	जोधपुर	992/740 मीन 2, 992/740 मीन 3	01.06.16 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
5.	श्रीमती पुष्पा चुंगलानी पत्नी श्री रमेश चुंगलानी	धिनाणा की ढाणी	470/21	01.17.05 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
6.	श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायणराम	धिनाणा की ढाणी	467/12	1562.08 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
7.	श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओमप्रकाश व अन्य	धिनाणा की ढाणी	468/5, 470/14	02.12.06 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
8.	श्री अनिल बोधरा पत्नी श्री नानकदास	धिनाणा की ढाणी	470/19	01.03.19 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
9.	श्री रणछोडराम पुत्र श्री हनुमानराम व अन्य	धिनाणा की ढाणी	467/15	00.19.12 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
10.	श्री कल्पित बोधरा पुत्र श्री जसराज	धिनाणा की ढाणी	467/4	01.00.11 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
11.	श्रीमती दौलत कंवर पत्नी श्री पारसमल	धिनाणा की ढाणी	470/26	1695 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
12.	सनसिटी होल्डिंग्स एण्ड ट्रेडिंग लि. जरिये श्री राजीव पुत्र श्री जतन भण्डारी	धिनाणा की ढाणी	467/6	02.04.13 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
13.	श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायणराम	धिनाणा की ढाणी	467/11	00.19.05 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
14.	मै. रॉयल आर्ट इण्डस्ट्रीय जरिये भागीदार श्री ओमप्रकाश	जोधपुर	1595/1096	02.10.00 बीघा	बायो-डीजल उद्योग
15.	मै अनिल टेक्सटाईल प्रो श्री नानकराम जी पुत्र श्री आत्माराम	जोधपुर	1494/939, 1499/939	01.00.16 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग

- जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की पुस्तिका में उल्लेख अनुसार जोधपुर में इंजिनियरिंग, मोटर पार्ट्स, पशु आहार, कृषि यन्त्र, ग्वार गम, टेक्सटाईल, स्टील बर्तन, स्टोन क्रेशिंग, खिलौने, हैन्डीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, हैण्डलूम, हौजरी, मसाला निर्माण, खाद्य पदार्थ के उत्पादन से संबंधित उद्योग स्थापित हैं एवं लोगों की आजीविका एवं रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है।
- सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण में राजस्व ग्राम जोधपुर, धिनाणा की ढाणी तथा सालावास में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों द्वारा मौके पर टेक्सटाईल उद्योग संचालित किये जा रहे हैं तथा जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकरणों का भू-उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। जोन स्तर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त समस्त 15 प्रकरणों में धारा 90/ए के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के औद्योगिक



- भूखण्डों हेतु न्यूनतम 18 मीटर पहुँच मार्ग आवश्यक है। आवेदित भूमि के सामने मौके पर लगभग 12-18 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध है। उपरोक्त सूची में एजेण्डा संख्या 1, 13 व 14 को छोड़कर शेष 12 प्रकरणों में मौके पर टेक्सटाईल उद्योग संचालित है। एजेण्डा संख्या 14 में मौके पर बायो-डीजल उद्योग संचालित है। एजेण्डा संख्या 1 व 13 में वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है एवं टेक्सटाईल उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है।
03. निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.02.2021 को किया गया है, जिसमें वर्ष 2031 तक के लिए औद्योगिक क्षेत्रफल 14884.91 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित की गई है तथा शहर में स्थित प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदूषित उद्योग यथा गैस, ज्वलनशील पदार्थ व दुर्गन्ध फैलाने वाले उद्योग आदि आबादी क्षेत्र में अनुज्ञेय नहीं किये गये हैं। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की औद्योगिक भू-उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries ही अनुज्ञेय की गयी है तथा टेक्सटाईल व अन्य Polluted उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञेय किया जाना उचित नहीं है।
04. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर (RM, RIICO) द्वारा अवगत करवाया गया कि RIICO Disposal of Land Rules, 1979 (as amended upto 30.06.2022) में Form "B" List of Obnoxious Industries संलग्न है (परिशिष्ट-2 पर संलग्न) परंतु Non-obnoxious Industries की पृथक से सूची उपलब्ध नहीं है। साथ ही List of Obnoxious Industries में 17 तरह के उद्योगों का उल्लेख किया गया है जिसमें भी टेक्सटाईल उद्योग का पृथक से स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उक्त क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर (RO, RPCB) द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सूची के बिन्दु संख्या 17 "*In general those use may be obnoxious or offensive by reason of emission of odour, liquid, dust smoke, gas, noise, vibration or fire hazards*" में टेक्सटाईल उद्योगों को सम्मिलित माना जा सकता है एवं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित कटेगरी रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन एवम् वाईट कटेगरी में से टेक्सटाईल उद्योग रेड कटेगरी के अंतर्गत आता है।
05. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1972 से विद्यमान है तथा मास्टर प्लान के अस्तित्व में आने से पूर्व ही उक्त क्षेत्र व आस-पास के क्षेत्रों में Polluted Industries यथा स्टील, टेक्सटाईल, केमिकल व अन्य रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन कटेगरी के उद्योग संचालित है। साथ ही अवगत करवाया गया कि टेक्सटाईल व इस प्रकार के अन्य उद्योगों की स्थापना से पूर्व राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोधपुर से वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त होने के उपरांत ही अनुज्ञेय की जाती है।
06. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में जोधपुर में 303 टेक्सटाईल उद्योग वैध है एवं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पंजीकृत है तथा कुछ टेक्सटाईल उद्योग जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट (JPNT) से जुड़े हुए हैं, साथ ही जिन उद्योगों के परिसर में स्वयं का जेड.एल.डी./ई.टी.पी. (Zero Liquid Discharge/ Effluent Treatment Plant) प्रणाली स्थापित हो उन उद्योगों को अलग से सी.ई.टी.पी. का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। साथ ही नये टेक्सटाईल उद्योगों की स्थापना हेतु यदि आवेदक एन.जी.टी. (NGT) द्वारा निर्धारित नॉर्म्स की पालना करता है तथा परिसर में भूखण्डधारक द्वारा जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता है तो नये टेक्सटाईल उद्योग अनुज्ञेय किये जा सकते हैं तथा उक्त प्रकार के प्रकरणों में एन.जी.टी. की कोई रोक नहीं है।
07. निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि टेक्सटाईल उद्योगों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 25.02.2022 को Original Application संख्या 34/2014, 32/2014 व 329/2015 में निर्णय पारित किया गया है तथा जोधपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त



रखने हेतु उक्त निर्णय की पालना राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, रीको एवं जोविप्रा द्वारा सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

08. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा उद्योगों हेतु रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन एवम् वाईट कटेगरी निर्धारित की गई है। केवल वाईट कटेगरी के उद्योगों हेतु अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन कटेगरी के उद्योगों हेतु उनके द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रेषित की जाती है। साथ ही रिक्त भूखण्डों में यदि भूखण्डधारक स्वयं के भूखण्ड में जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता है, तो उक्त भूखण्डों हेतु राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति प्रेषित किये जाने पर अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
09. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर में अप्रदूषित हेण्डीक्राफ्ट उद्योगों को अनुज्ञेय किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि हेण्डीक्राफ्ट उद्योग को ग्रीन कटेगरी में रखा गया है जिसके लिए राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
10. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में से एजेण्डा संख्या 01, 13 व 14 को छोड़कर शेष समस्त प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें "प्रश्नगत इकाई संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) सांगरिया जोधपुर की सदस्य इकाई है एवम् इस इकाई द्वारा जनित औद्योगिक उच्छिष्ट का उपचार सी.ई.टी.पी सांगरिया में किया जाता है, तथा राज्य मण्डल को इस उद्योग के भू-उपयोग परिवर्तन से कोई आपत्ति नहीं है" का उल्लेख किया गया है। एजेण्डा संख्या 01 व 13 में आवेदित भूमि में कोई निर्माण नहीं होने के कारण आवेदक यदि भूखण्ड में स्वयं के स्तर पर जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता है, तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है, का उल्लेख किया गया है।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि RIICO क्षेत्र के पास लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में प्रस्तावित सभी प्रकरणों में रीको से Peripheral Development Charges के संबंध में अनापत्ति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में विद्यमान व नवीन प्रस्तावित टेक्सटाईल एवं अन्य उद्योगों की स्थापना से रोजगार की सम्भावनाओं तथा Investment Opportunities को दृष्टिगत रखते हुए चर्चा उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

01. समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के 15 प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 14 को छोड़कर शेष समस्त प्रकरणों का जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग होने, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर की अनापत्ति प्राप्त होने तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन से पूर्व में मौके पर टेक्सटाईल उद्योग स्थापित होने आदि को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा प्रकरणों को कार्यकारी समिति के माध्यम से प्राधिकरण बैठक में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाने की अभिशंका की गई:-
  - a. टेक्सटाईल उद्योगों के एजेण्डा संख्या 1 व 13 में मौके पर निर्माण नहीं हो रखा है परन्तु आवेदक द्वारा जेड.एल.डी./ई.टी.पी. का प्रावधान स्वयं के परिसर में किये जाने तथा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही बी.पी.सी. (एल.पी.) के स्तर से ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
  - b. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.02.2022 को टेक्सटाईल उद्योगों के संबंध में पारित निर्णय की पूर्ण पालना हेतु आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे।
  - c. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर/संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रेषित करते समय नियमानुसार आवश्यकता होने पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environment Impact Assessment) की सुनिश्चितता की जावे।





- d. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति एवं वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) जारी की गई हो।
  - e. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी गार्डलाईन्स की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
  - f. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु न्यूनतम आवश्यक 18 मीटर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावें।
  - g. आवेदित भूमि के सामने यदि 18 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो सड़क मार्गाधिकार में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
  - h. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
  - i. प्रस्तावित भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाने की सुनिश्चितता की जावें।
  - j. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2022 की अनुपालना में वृक्षारोपण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
02. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान में औद्योगिक भू-उपयोग की डी.सी.आर. में केवल Non-obnoxious Industries ही अनुज्ञेय की गई है। अतः समिति द्वारा औद्योगिक भू-उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries के अतिरिक्त निम्न प्रकार के उद्योगों को भी सम्मिलित किये जाने की अनुशंशा की गई:-
- a. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा निर्धारित वाईट कैटेगरी के उद्योग।
  - b. हेण्डीकाप्ट उद्योग
  - c. अन्य सभी प्रकार के उद्योग जिनमें राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति एवं वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) जारी की गई हो।

**उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिए गए:-**

01. बैठक में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 14 के एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा आवेदित भूमि में मौके पर बायो-डीजल से संबंधित गतिविधियाँ संचालित होने के कारण राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोधपुर/जिला कलक्टर कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तदानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
  02. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित कैटेगरी में हेण्डीकाप्ट उद्योग को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। अतः हेण्डीकाप्ट उद्योग के समस्त प्रकरणों में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त की जावें।
  03. RIICO क्षेत्र के पास 1 किलोमीटर की परिधि में प्रस्तावित प्रकरणों में रीको से Peripheral Development Charges के संबंध में अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
- आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (जोन-3)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

5403

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 53 9270 दिनांक:- 10/01/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/विधि/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-1/2/3/4/5/6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर।
06. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा।
07. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर।
08. उप नगर नियोजक द्वितीय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
09. सहायक नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
10. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (जोन-3)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2023 वीं बैठक दिनांक 05.01.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।   | अध्यक्ष              |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।   | सदस्य                |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।                                      | सदस्य                |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।                               | सदस्य                |
| 5. श्री रविन्द्र कुमार, उपायुक्त (जोन-3) जो.वि.प्रा. जोधपुर   | सदस्य                |
| 6. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक (विधि), जो.वि.प्रा. जोधपुर।  | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 7. श्रीमति शिल्पी शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 8. श्री ए.के. सक्सेना, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर   | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 9. श्री विनीत गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा  | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 10. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।   | सदस्य सचिव           |
| 11. श्री सौरभ गहलोत, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।  |                      |

उप नगर नियोजक (जोन-3)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



## LIST OF OBNOXIOUS INDUSTRIES

1. Fertilizers manufactured from organic materials, provided, however, that these provisions shall not apply to the manufacturing fertilizers from previously processed materials compounding which have no noxious odour or fumes and which do not produce noxious odour or fumes in the compounding or manufacturing thereof.
2. Sulphurous, sulphuric, pyric, nitric, hydrochloric or other acid manufacture and/or their use or storage, except as necessary to a permitted industry.
3. Ammonia manufacturing.
4. Incineration, reduction or dumping of offal, dead animals, garbage or refuse on a commercial basis.
5. Tar distillation or manufacture.
6. Chlorine manufacture.
7. Bleaching powder manufacture.
8. Gelatin or glue manufacture or processes involving recovery from fish or animal offal.
9. Manufacture or storage of explosives and firework.
10. Fat rendering.
11. Fat, tallow, greases or lards refining or manufacture.
12. Garbage, offal or dead animal reduction, dumping or incineration.
13. Stockyard or slaughter of animals.
14. Tallow, grease or lard manufacture.
15. Charcoal.
16. Manufacture of Viscose Rayon.
17. In general those use which may be obnoxious or offensive by reason of emission of odour, liquid, dust, smoke, gas, noise, vibration or fire hazards.